तृतीय अनुसूची

(धारा–(4–झ देखिए)

(सेवा की शर्तें जिनके परिवर्तन के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए)

1– मजदूरी जिसके अंतर्गत भुगतान की अवधि तथा ढंग भी है ;

2– मालिक द्वारा भविष्य निधि, सेवा–निवृत्ति निधि (pension fund) या तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन मजदूरों के लाभ के लिए प्रदत्त अथवा देय अंशदान ;

3– प्रतिकारात्मक तथा अन्य भत्ते ;

4– कार्य तथा अवकाश (Rest interval) ;

5– मजदूरी सहित अवकाश(Leave with wages) तथा छुट्टियां (Holidays) ;

6– स्थायी आदेशों से भिन्न प्रकार से पारियों के संचालन का प्रारम्भ, परिवर्तन तथा उसकी समाप्ति ;

7– वेतनक्रमों के अनुसार वर्गीकरण;

8– किसी प्रचलित रियायत या विशेषाधिकार का वापस लिया जाना या किसी प्रथा में परिवर्तन करना ;

9– जहां तक कि स्थायी आदेश में व्यवस्था है उसे छोड़ कर अनुशासन के नए नियमों का पुरःस्थापन अथवा वर्तमान नियमों में परिवर्तन ;

10– अभिनवीकरण (Rationalilant), प्रतिमानीकरण (Standardization) अथवा स्थिर यंत्रों अथवा प्राविधकता (Plant or technique) में सुधार जिससे मजदूरों की छंटनी सम्भाव्य हो ;

11– किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया अथवा विभाग अथवा पारी में नियुक्त या नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में बढ़ती अथवा (आकस्मिकता भिन्न), जो किन्हीं मजबूरियों के कारण न हो ।

—————

---

2. उत्तर प्रदेश में अधिनियम सं0 26 1983 की धारा द्वितीय अनुसूची 10 द्वारा जोड़ी गयी।